


अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

संदिग्ध/अपेक्ष जमाबंदी रद्द अभिलेख नं० 10 / 2008-21


बिहार (आरखड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से

संबंधित।

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
24/3/19	<p style="text-align: center;">आरखड सरकार के आदेश नं०-2074/रख दिनांक-13.05.2016</p> <p>संबंधित-श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खख नं० निती-119/85/2308/रख दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या-914/रख दिनांक 09.12.1998 में निहित निर्देश के अनुपालन में गैरमजदूरा खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व उपनिरीक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है-</p> <p>मौजा- <u>कौवापुरा</u> मौजा नं०- <u>12</u> खाता नं० <u>142</u> प्लॉट नं० <u>214</u> रकबा <u>18.84 बी.</u> की भूमि जो गैरमजदूरा खास, अगाबाद बिहार(आरखड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पत्ती- 11 के जिल्द संख्या <u>17</u> के पृष्ठ संख्या <u>3/45</u> पर जमाबंदी रैयत <u>श्री श्री एन. एन. चटर्जी</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का राजस्व उपनिरीक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी किन्ना सख्त प्राधिकार के आदेश के/अपेक्ष बंदोबस्ती के आधार पर/अपेक्ष कौटुम्बिक बंदोबस्ती के आधार पर/ अपेक्ष लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उद्देश्य निम्न एवं राजस्व को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अपेक्ष प्रतीत होती है, जिसका बिहार (आरखड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतः- उपरोक्त जांच प्रतिवेदन पर अंचल-निरीक्षक का मतव्य प्राप्त करे। अभिलेख दिनांक <u>9/4/19</u> को रखे।</p>	
	 अंचल अधिकारी, धनबाद।	

29/4/19


अभिलेख उपस्थापित एवं निरीक्षक से मतव्य / प्रतिवेदन अप्राप्त है।
अभिलेख दिनांक 29/4/19 को रखे।


अचल अधिकारी
धनबाद।

29/4/19

अभिलेख उपस्थापित। अद्योहस्ताक्षरी निर्वाचन कार्य में व्यस्त रहने के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं हो सका।

अभिलेख दिनांक 29/4/19 को रखे।


अचल अधिकारी
धनबाद।

15/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मतव्य सहित प्राप्त। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 29/6/20 को रखें।



अचल अधिकारी
धनबाद।


29/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि मौजा कोलाकुण्डा मौजा नं० 12 खाता 142 प्लॉट नं० 214 रकबा 18.00 घं. भूमि से संबंधित है। आवेदित भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआवादी खाते की भूमि है। जमाबंदी रैगल के खोज बीन के उपरान्त पता नहीं चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु नोटिस की प्रति संलग्न)। आवेदित भूमि दाखिल खारिज केस नं० _____ (____) _____ के अनुसार कारगम है। तत्कालीन अचल अधिकारी, धनबाद द्वारा उक्त पंजी को संदेहास्पद माना गया है। जिसे संबंधित उप निरीक्षक एवं अचल निरीक्षक ने उक्त जमाबंदी को रद्द हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशासा सहित समर्पित किया

अतः जाँच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता धनबाद को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।


अचल अधिकारी,
धनबाद।


अचल अधिकारी,
धनबाद।

अंचल अधिकारी का कार्यालय

बाद अभिलेख संख्या- _____ / 2016 (अन्तर्गत धारा-4(b), BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम श्रीमती रीता पांडे
वति श्री एच. एच. पांडे

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा होलाबन्ना थाना नं०- 12
खाता नं०- 142 खेसरा नं०- 214 रकबा- 18.245 से संबंधित आपके नाम से
हउ नं०- 11 के पंजी-11 भाग 17 के पृष्ठ 3169 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया
राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त सदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक- _____ को समय-11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त
भूमि का रिटर्न-1, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी
रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व
रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त
भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अघोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित
होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ
नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए
दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जानें।

तिथि-

मुहर

अंचल अधिकारी

स्थान-

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

4125

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- श्री/श्रीमती श्रीमती शैला - पालेगा पति श्री (जी-एन) पालेगा

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	पाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
मौजा <u>कुशी</u>	12	142	214	18-548
		01	213	

3. जमाबंदी पंजी - II के जिल्द संख्या ... 17 ... पृष्ठ सं० ... 3169 ... पर कायम है-

4. जमाबंदी किस वर्ष से कायम है - 2006-07

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- गैर आबाद

6. किस सक्षम अधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- लगान धार्य / बन्दो वस्ती/ दा० खा० मु० सं० 1359 (1)
2006-07 जमाबंदी नं० 1192, 686 के अन्तर्गत

7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- श्री शैला देवी - पति श्री (जी-एन) पालेगा

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिर्बंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूबंदोबस्ती - 31- (1) जमाबंदी नं० 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, (1) जमाबंदी नं० 86-87

9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न / बन्दोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू - हस्तांतरण पंजी जमाबंदी नं० 352, 510 के अन्तर्गत

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
1	<u>7049941</u>	<u>21-9-06</u>	<u>2006-07</u>